150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कैदियों के अधिकार

RIGHTS OF PRISONERS

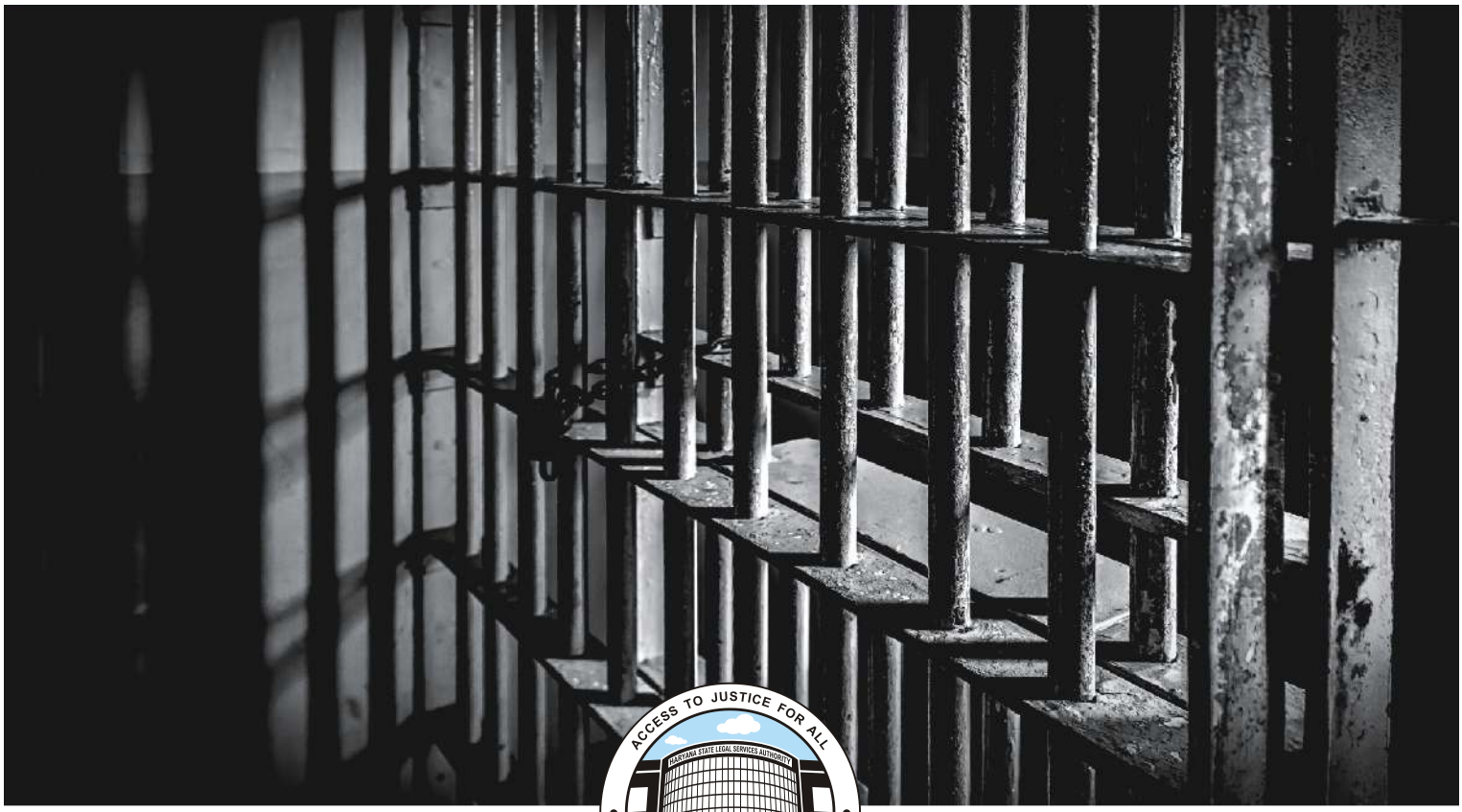

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

न्याय सब के लिए

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी

मुख्य न्यायाधीश,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल

न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव

प्रमोद गोयल

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

संयुक्त सदस्य सचिव

सुनील कुमार दीवान

मुख्य दंडाधिकारी

प्रकाशकः

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिटूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर-14, पंचकुला
ई–मेलःhslsa.haryana@gmail.com वैब साईटःwww.hslsa.gov.in

Justice Krishna Murari
Chief Justice
Punjab & Haryana High Court

Chief Justice's Bungalow
35, Sector 4, Chandigarh-160 001
Tel : 2740880 (O), 2749770 (R)

FOREWORD

It is a matter of pleasure that Haryana Legal Services Authority is publishing a book for the rights of the prisoners.

The Constitution of India recognizes the right of a human being to live with dignity. Anyone, deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. The fundamental rights don't cease to exist when a person is imprisoned. However, more or less, prisoners fail to exercise their basic human rights because of lack of information. The Haryana State Legal Services Authority has put in efforts, time and again, to provide legal services to marginalized sections of society, senior citizens, women, specially abled persons, jail inmates and children. This is a self-help book designed and focused over the right of prisoners, to help them understand and exercise their basic human rights.

I appreciate the work done by the Haryana State Legal Services Authority as their efforts have resulted in a comprehensive book encompassing solutions to the problems of prisoners.

Krishna Murari
24.1.19
(Krishna Murari)

सत्यमेव जयते

Hon'ble Mr. Justice Ajay Kumar Mittal
Judge,
High Court of Punjab and Haryana
Executive Chairman,
Haryana State Legal Services Authority
Panchkula

Foreword

The talk of human rights would become meaningless unless a person is provided with legal aid to enable him to have access to justice in case of violation of his human rights. Legal aid is no longer a matter of charity or benevolence but is one of the constitutional rights and the legal machinery itself is expected to deal specifically with it. If a person commits any crime, it does not mean that by committing a crime, he ceases to be a human being and that he can be deprived of those aspects of life which constitutes human dignity. For a prisoner all fundamental rights are an enforceable reality, though restricted by the fact of imprisonment. This book explains in simple language various rights to the prisoners. I hope that through this book the prisoners will become aware of their constitutional and fundamental rights.

(Ajay Kumar Mittal)

विषय–सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य प्रष्नोत्तरी	1–12
2.	निःशुल्क विधिक सेवा सम्बन्धी अधिकार	13–19
3.	बीमार कैदियों के अधिकारों से सम्बंधित जानकारी	20
4.	एकान्तवास (Solitary Confinement) से सम्बन्धित जानकारी	21
5.	आयु निर्धारण तथा किशोर अपराधियों से सम्बन्धित जानकारी	22–24
6.	व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास से सम्बन्धित अधिकार	25–29
7.	शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार	30–32
8.	महिला कैदियों के अधिकार	33–34
9.	मुआवजा, दया अपील, छुट्टी और विशेष अवकाश व रिहाई से सम्बंधित जानकारी	35–37

भाग–1

सामान्य प्रश्नोत्तरी

प्रश्नः1 हमारे देश में आज जेलों की क्या स्थिति है?

उत्तरः देश की एक तिहाई जेलों में न तो पीने का पानी उपलब्ध है और न ही स्वच्छ शौचालय। सत्तर प्रतिशत जेलों में अभी बिजली उपलब्ध नहीं है। कुछ जेलों में ही मनोरंजन की सुविधा है। कई बंदीगृहों में उपयुक्त वायुसंचार सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। दो तिहाई बंदीगृहों का निर्माण पिछली शताब्दी में हुआ था और कुछ इस शताब्दी के पहले दो दशकों में बनाये गये थे तब से जेलों में जाने वाली जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, पर उचित संख्या में जेलों के निर्माण पर न्यूनतम ध्यान दिया गया। इसी वजह से अधिकतर जेलों में आवश्यकता से अधिक लोग जेलों में बंद हैं।

प्रश्नः2 स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कैदियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था?

उत्तरः पूर्वकाल में बंदी समाज के विरोधी माने जाते थे, उनकी लोगों द्वारा निन्दा की जाती थी और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जेल के प्रशासन अधिकारी भी उनसे बुरा व्यवहार करते थें।

प्रश्नः3 वैज्ञानिकों का अपराध के विषय में क्या दृष्टिकोण है?

उत्तरः अपराध एक रोगी मानसिकता का परिणाम है।

प्रश्नः4 गांधी जी का बंदियो और बंदीगृहों के विषय में क्या विचार था?

उत्तरः उनके दृष्टिकोण से अपराधियों का उपचार अस्पताल में रोगियों की तरह किया जाना चाहिए और जेलों में कैदियों को रोगियों की तरह

भर्ती कर उनका उपचार और देखरेख की जानी चाहिए।

प्रश्नः5 कानून के अनुसार कैदियों को किस प्रकार देखा जाता है?

उत्तरः कानून की नजर में कैदी भी मनुष्य है, पशु नहीं। न्यायमूर्ति वी0 आर0 कृष्णा अय्यर के अनुसार कारागारों के संरक्षकों को, जो कैदियों की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य कर मनमाने ढंग से व्यवहार करते हों, उन्हें दण्ड देना चाहिए क्योंकि जब भी कैदियों पर अभिघात किया जाता है उससे संविधान को प्रघात पहुँचता है।

प्रश्नः6 कैद का मुख्य प्रयोजन क्या है?

उत्तरः बन्दीकरण का मुख्य प्रयोजन है– अपराधिक व्यवहार का निराकरण जिससे उसका पुनरोद्धार किया जा सके और उसकी प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और अच्छी नागरिकता के गुणों को पुनः स्थापित किया जा सके। इस प्रकार वह व्यक्ति एक सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बन बंदीगृह से बाहर निकल सके।

प्रश्नः7 दण्ड की धारणा में क्या परिवर्तन लाए गये हैं ?

उत्तरः सभ्य समाज में दण्ड कैदियों की प्रतिष्ठा को निम्नीकृत नहीं करता। कैदियों के प्रति व्यवहार, मानवता और निष्पक्षता के मूल आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। तिरस्कार और निर्दयता से किसी भी अपराधी को सुधारा नहीं जा सकता। दण्डनीय कार्यवाही प्रबुद्ध कर देने वाली होनी चाहिए अन्यथा कैदी समाज के दुश्मन बन सकते हैं। अपराधी होने का स्थायी क्षतचिन्ह व्यक्ति को एक सम्भावित अच्छे नागरिक से

एक दृढ़ अपराधी बना सकता है।

प्रश्नः8 हथकड़ियों का प्रयोग किस प्रकार की विशेष परिस्थिति में मानवीय है?

उत्तरः हथकड़ियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति किसी गम्भीर अजमानतीय अपराध करने के कारण बंदी बनाया गया हो और उसने पहले भी अपराध किया हो, या उसने आत्महत्या का प्रयास किया हो या फिर भाग जाना चाहता हो।

प्रश्नः9 हथकड़ी लगाने के विरूद्ध क्या क्रियाविधिक रक्षोपाय हैं?

उत्तरः डेली डायरी रिपोर्ट में हथकड़ी लगाने के विस्तृत कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ उन तथ्यों की भी विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए, जिनके कारण हथकड़ी लगाई गयी हो। राजनैतिक बंदियों को अगर हथकड़ी लगायी जाती है तो उन्हें सार्वजनकि स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस अफसर द्वारा जज को हथकड़ियाँ लगाए जाने का कारण बताना होगा और उसकी आज्ञा लेनी होगी।

प्रश्नः10 क्या विचाराधीन अपराधी को दिनचर्या में कोर्ट जाते समय हथकड़ी लगाना वैधिक है?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार (1980 Cri.L.J. 1930) दैनिक नित्यक्रम में हथकड़ी लगाना अवैध है। किसी भी केस में अगर मिलनेवाला अधिकतर दण्ड तीन वर्ष से कम है तो हथकड़ियाँ नहीं

लगायी जा सकतीं।

न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ–पाँव बाँधना और उसे हथकड़ियों में जकड़ कर रास्ते में खड़ा कर उसे यातना देने के बराबर है, व उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है, यह समाज पर एक कलंक है और हमारी असंवैधानिक संस्कृति पर धब्बा है।

प्रश्नः11 सुनील बत्रा (1978 (4) SCC 494) के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे, बेड़ियों में रखने के लिए क्या निर्णय दिया जिनका मुकदमा विचाराधीन हो?

उत्तरः बेड़ियों का प्रयोग कम से कम समय के लिए होना चाहिए। बेड़ियॉं पहनाने के कारणों का नित्य परीक्षण और उस पर विचार अनिवार्य है। इसे केवल विशेष तथा आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। अक्सर इसका प्रयोग रात्रिकाल में नहीं किया जाता। रात्रिकाल में बेड़ियों का प्रयोग आपत्तिजनक है।

जेल के सुप्रिंटेन्डेंट के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह कैदी की बेड़ियों सम्बन्धी समस्या पर ध्यान दे और यह सिद्ध करे कि बेड़ियों द्वारा ही उसको हिरासत में रखा जा सकता है।

प्रश्नः12 सुनील बत्रा के केस में कैदियों पर यंत्रणा के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रस्ताव रखा?

उत्तरः सुनील बत्रा के दूसरे केस में (1980 (3) SCC 488) सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव रखेः–

- 'कैदियों के अधिकार सम्बन्धी बड़े सूचना पत्र जारी करने चाहिए जिन्हें उचित स्थान पर दर्शाया जाए ;
- कैदियों को कैदी–नियमावली उपलब्ध करवाना आवश्यक है;
- बोर्ड ऑफ विस्टिरस द्वारा कैदियों के खान–पीन, स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि का परीक्षण करना आवश्यक है;
- वह रजिस्टर, रिकार्ड इत्यादि का भी परीक्षण करें और कैदियों का निवेदन सुन उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें;
- मजिस्ट्रेट कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और उनकी शिकायत सुनें;
- कैदी–नियमावली को हिन्दी मे प्रकाशित कर उसे बांटा जाए जेल बुलेटिन, जिनमें कैदियों के सुधार सम्बंधी कार्यक्रम हों, उन्हें भी प्रकाशित किया जाए;
- सरकार को यह सुझाव दिया जाए कि वह कैदी अधिनियम का संशोधन करे और कैदी नियमावली को सुदृढ़ बनाए।

प्रश्नः13 क्या कारागार में अवैध निरोध के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है?

उत्तरः जी हाँ।

प्रश्नः14 क्या कैदियों को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों ओर कर्तव्यों के बारे सूचना प्राप्त कर सकें?

उत्तरः कैदियों का यह मौलिक अधिकार है कि वह कानून में दिये गये अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसी कारण उन्हें जेल–नियमावली और कानूनों को सुलभ और सहज रूप से उपलब्ध करवाना आवश्यक है। सूचना प्राप्त कराने का अधिकार एक आधुनिक विचारधारा का प्रतीक है जो लोगों की स्वतंत्रता के संकल्प को प्रेरित करता है।

प्रश्नः15 क्या बन्दीकरण द्वारा कैदियों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं?

उत्तरः जी नहीं। बन्दीकरण द्वारा कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं जैसे अबाध संचार का अधिकार अन्यथा कैदी को आम नागरिकों के स्वरूप अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्नः16 क्या शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए अधिकार में सम्मिलित है?

उत्तरः जी हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने केद्रा पड़िहया बनाम बिहार राज्य सरकार में यह कहा है कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान में दिये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है और यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसीलिए यदि केस के निपटान में देरी होती है तो वह न्याय का प्रत्याख्यान होगा इसलिए न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दावों का शीघ्र निपटारा करें।

प्रश्नः17 जब कैदी को मृत्युदण्ड दिया गया हो तब क्या उन्हें सामाजिक

सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है?

उत्तरः जी नहीं। उन्हें ऐसी सुविधाएं जैसे खेल कूद के साधन, समाचार पत्र, किताबें, दूसरे कैदियों से मेलजोल और मुलाकात का अवसर प्रदान करना चाहिए, परन्तु यह सब जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार और नियंत्रण में ही होना चाहिए यदि कैदी एकांत में रहकर चिन्तन अथवा प्रार्थना करना चाहता हो या वह अपने परिवार से मिलना चाहता हो, तो उसकी मानसिक स्थिति व व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे यह सुविधाएँ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए (देखिए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के केस का निर्णय और चार्ज्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन का केस)

प्रश्नः18 क्या वह कैदी जिसे दण्ड दिया गया हो, स्वयं द्वारा पूर्ण किये गये कार्य के लिए मजदूरी की मांग कर सकता है?

उत्तरः जी हाँ। यह आवश्यक है कि कैदियों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।

प्रश्नः19 क्या किसी भी कैदी को उस पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो पुस्तक उसने जेल में कैद में रह कर लिखी हो?

उत्तरः जी हाँ। प्रभाकर (AIR 1966 SC 424) के केस में अभियोगी ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी। उसे भारतीय रक्षा नियमों (1962) और बम्बई अभिरक्षा अवस्था अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया, परन्तु न्यायालय के

आदेश के अनुसार इस प्रतिबंध को अवैध बताया गया है और पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये और यह भी कहा गया कि इससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न:20 क्या कैदियों का वर्गीकरण करना चाहिए?

उत्तरः जी हाँ। उनका वर्गीकरण आयु, लिंग, अपराधिक रिकार्ड और विशेष अभिवृति के आधार पर होना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रति सही व्यवहार करने में सहायता मिल सकेगी।

प्रश्न:21 क्या कैदियों को उनके द्वारा किये गए अपराध की संगीनता के अनुसार जेल में अलग रखना चाहिए?

उत्तरः जी हाँ।

प्रश्न:22 क्या वे अपराधी जिनके विरूद्ध मुकदमा अभी विचाराधीन है उन्हें बाकी अपराधियों से अलग रखना चाहिए?

उत्तरः जी हाँ। जापान में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है और वे कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचाराधीन हो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग रखा जाता है। उन्होंने 10 प्रकार का वर्गीकरण किया है:–

- अनियमित या आकस्मिक अपराधी
- अभयस्त अपराधी
- वह अपराधी जिसे लम्बी सजा दी गई हो
- बाल अपराधी

- वह अपराधी जिनकी आयु 20–25 वर्ष के बीच हो
- मानसिक रूप से अस्वस्थ अपराधी
- महिला अपराधी
- रोगी अपराधी जिन्हें उपचार की आवश्यकता हो
- वृद्ध अपराधी
- विदेशी अपराधी

प्रश्न:23 क्या राज्य सरकार कैदियों को उसी राज्य में स्थित एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने के लिए निर्देश दे सकती है?

उत्तरः जी हाँ। यह शक्ति कारागार के अधीक्षक के पास भी होती है।

प्रश्न:24 कारागार के अधीक्षक को क्या करना चाहिए जब अपराध दोनों कानून, जेल अधिनियम और जेल मैनुअल एवं भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत आता हो?

उत्तरः तब कारागार अधीक्षक के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सीधा कैदी अधिनियम व जेल मैनुअल के अन्तर्गत कार्यवाही कर कैदी के लिए सजा निर्धारित कर सकता है या फिर वह कैदी को उपयुक्त कोर्ट जिसके पास उस कैदी द्वारा किए गये अपराध के विरूद्ध भारदीय दंड संहिता के अनुसार कार्यवाही करे जाने की शक्ति हो, वहां भेज सकता है।

या

दूसरे शब्दों में जेल अधीक्षक अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए जेल अधिनियम या जेल मैनुअल के अनुसार जो उसके विचार से उपयुक्त हो, ऐसे अपराधी की सजा निर्धारित कर सकता है, तब वह कैदी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसी अपराध के लिए दोबारा सजा के लिए नहीं भेज सकता। इसके लिए जेल अधिनियम व जेल मैनुअल में भी प्रावधान दिए गये हैं।

प्रश्न:25 कैदियों को किस प्रकार के कपड़े दिये जाने का प्रावधान है?

उत्तरः कैदियों को 4 जोड़ी कपड़े और अंग–वस्त्र तौलिया, बैड सीट आदि अपने साथ रखने की अनुमति है। जीन्स, ऊंचे स्पोर्टस के जूते और मोटे सोल वाले स्लीपर या सैंडिल पहनना मना है। महिलाओं को ऊंची ऐड़ी की सैन्डिल पहनना मना है।

प्रश्न:26 सजायाफ्ता कैदियों को जेल में किस प्रकार की पोशाक/यूनिफोर्म दी जाती है?

उत्तरः सजायाफ्ता कैदियों को जेल द्वारा दी गई पोशाक पहनना आवश्यक है। सर्दियों में उन्हें ऊनी कपड़े भी दिये जाते हैं। कैदियों को आवश्यकतानुसार 6 माह में जेल मैनुअल के अनुसार कुर्ता पजामा देने का प्रावधान है।

प्रश्न:27 कैदियों को वस्त्रों के संबंध में जेल द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है?

उत्तरः सभी जेलों में बन्दियों द्वारा जेल उद्योगशाला पर ही सिलाई की दुकानें चलाई जाती है और यदि कैदी वस्त्र सिलवाना चाहें तो बाहर से कपड़ा मंगवा सकते हैं या बंदी कल्याण कैन्टीन से खरीद सकते हैं।

प्रश्न:28 कैदियों को फोन/पत्राचार की सुविधा किस प्रकार प्रदान की जाती है?

उत्तरः मुलाकातों के अलावा, कैदी प्रिजन कॉलिंग इन्मेट सिस्टम (PICS) के माध्यम से फोन कॉल द्वारा अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों के सम्पर्क में रह सकता है। यह विशेष कॉलिंग सिस्टम सभी जेलों में स्थापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से कैदी दैनिक कॉल कर सकते हैं। प्रत्येक कॉल का खर्चा/शुल्क 1 रू0 प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाता है। पुरूष और महिला दोनों वार्डों में अलग–अलग PICS मशीनें होती हैं।

जैल मैनुअल के अनुसार पत्राचार की सुविधा भी कैदियों को उपलब्ध करायी जाती है। जो कैदी दूसरे जिले या राज्य के हैं जहॉ उनके परिवारों के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है या जिन कैदियों के परिवार के सदस्य मुलाकात करने के लिए यात्रा करने में असमर्थ हैं, यह पत्राचार की सुविधा लाभकारी रहती है।

प्रश्न:29 कैदियों के भोजन सम्बंधी कारागार में क्या प्रावधान हैं ?

उत्तरः जेल में सभी प्रकार के बंदियों हेतु भोजन का पैमाना आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। सुबह व दोपहर के समय एक–एक कप चाय दी जाती है। सुबह नाश्ते में 100 ग्राम ब्रेड और 250 ग्राम दूध प्रत्येक बन्दी को दिया जाता है। प्रातः और सांय के भोजन में 5 रोटी (350 ग्राम आटे की) व प्रातः रोजाना बदलवां दाल (70 ग्राम) और सांय को मौसम के अनुसार बदलवां सब्जी (230

ग्राम) दी जाती है। सप्ताह में प्रत्येक रविवार को मीठी खीर भी दी जाती है। राष्ट्रीय पर्वों पर और बड़े त्यौहारों पर मिठाई व विशेष भोजन भी दिया जाता है। डॉक्टरों के निर्देश पर बीमार बन्दियों को विशेष भोजन दिया जाता है। महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों को नार्मस अनुसार अलग से बिस्कुट, दूध, चावल व फल इत्यादि दिये जाते हैं।

प्रश्नः30 जेल कैन्टीन में कैदियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध रहती है ?

उत्तरः जेल कैन्टीन में सूखी सब्जियाँ, घी, मसाले, अचार, तेल इत्यादि का स्टॉक होता है। कोई भी कैदी कैन्टीन से इन वस्तुओं को निर्धारित मूल्य अदा करके प्राप्त कर सकता है, जिसकी खरीदारी के लिए रसीद अनिवार्य है। उक्त कैन्टीन हरियाणा जेल कैन्टीन प्रबन्धन नियम, 1965 यथासंशोधित सितम्बर, 2003 के अनुसार चालित होती है।

भाग–2

निःशुल्क विधिक सेवा सम्बंधी अधिकार

प्रश्नः1 क्या किसी भी अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है ?

उत्तरः जी हाँ। यह हर उस व्यक्ति को, जो किसी भी मामले में अभियुक्त हो और अपने लिए किसी कानूनी सलाहकार को नियुक्त न कर सकता हो, फिर चाहे गरीबी के कारण या अन्य किसी भी परिस्थिति में हो, उसे यह संवैधानिक अधिकार है कि राज्य उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे और राज्य का संवैधानिक आज्ञापक है कि अगर न्याय की मांग हो तो वह अभियुक्त को एक कानूनी सलाहकार प्रदान करें। (1980(1) SC 108)

प्रश्नः2 निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के सम्बंध में कैदियों को क्या अधिकार प्रदान किये गये हैं?

उत्तरः यह निम्नलिखित हैंः

- सभी अदालतों को यह निर्देश दिए गये हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा देते समय उसे फैसले की निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान करे;

- कोई भी ऐसी कापी देते समय यह आवश्यक है कि यह प्रतिलिपि जेल अधिकारी कैदी को तुरन्त दे और उससे लिखत में उस प्रतिलिपि की प्राप्ति सूचना ले;

- यदि कैदी इस फैसले की अपील अथवा रिविजन फाइल करना चाहता हो तो जेल प्रशासन उस कैदी को इसके लिए ऐसी सारी सुविधाएं प्रदान करे;

- यदि कैदी किसी पर्याप्त कारणवश वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हो तो कोर्ट मामले की गइराई को देखते हुए और केस के तथ्य को ध्यान में रखकर न्याय के आधार पर उस कैदी की प्रतिरक्षा के लिए किसी भी सक्षम सलाहकार को इसके लिए नियुक्त कर सकता है, परन्तु यह तभी हो सकता है जब पार्टी को इस पर कोई आपत्ति न हो।

- वह राज्य सरकार जिसने कैदी को अभियुक्त ठहराया हो और न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ करते हुए उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया हो उसे ही ऐसे व्यक्ति के लिए नियुक्त वकील को वह रकम देनी हो जो न्यायालय सही ठहराये;

- यह दिये गए उपबंध अनुच्छेद 21 द्वारा लागू होते हैं और अनुच्छेद 19(1) (D) में दिये प्रावधान उन्हें सशक्त करते हैं। इन्हें तभी लागू किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया हो। (देखें ''हसकोट केस'' SLP (CRIMINAL) No. 408 OF 1978 जिसका निर्णय 17, अगस्त 1978 को दिया गया)

प्रश्नः3 वह कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचारण हो, उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए?

उत्तरः सुविधाएंः

- अपने मित्र तथा परिजनों से पत्र व्यवहारः

- वह मित्र और परिजन जो उनको जेल में मिलने आते हों, उनसे मिलने की सुविधाः
- अपने वकील या उसके ऐजेंट से वार्तालाप सलाह या परामर्शः
- रेडियो, संगीत या टेलिविजन की सुविधाः
- घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेनाः
- व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक शिक्षा।

प्रश्नः4 कैदियों की शिकायत के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों को लागू करने के लिए मुम्बई हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य को क्या निर्देश दिये गए?

उत्तरः 1. शिकायतें लिखने के लिए बॉक्स

उन शिकायत बाक्सों के अलावा जो पहले ही जेल के विभिन्न यूनिटों में रखे गये हैं, एक सील किया गया ताला बन्द कम्पलेंट बॉक्स जेल के किसी विशिष्ट स्थान पर रखना होगा। इसकी चाबी विशेष रूप से जिला न्यायाधीश के पास रहेगी। सभी कैदियों को इस बॉक्स के पास जाने पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। यह बॉक्स उस क्षेत्राधिकार के सत्र न्यायाधीश के सामने खोला जाएगा। वह जेल जहाँ पर सत्र न्यायाधीश का पहुँचना कठिन हो वहाँ वह अतिरिक्त जिला जज या सहायक जज को यह कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगें। सत्र न्यायाधीश को न केवल इन शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाना होगा पर उन्हें इसका रिकार्ड भी रखना आवश्यक है। इस

रिकार्ड में यह दर्ज करना भी आवश्यक है कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए।

2 शिकायत रजिस्टर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिकायत बॉक्स में डाली गयी शिकायतों के सम्बंध में एक शिकायत रजिस्टर भी रखेंगे जैसा कि निर्देशित किया गया हो, यह रजिस्टर जेल आफिस में रहेगा। इसमें यह दर्ज किया जाना भी आवश्यक है कि किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए क्या उपयुक्त कदम उठाये गये।

3 जिला एवं सत्र न्यायाधीश / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करेंगे और कैदियों को यह भरपूर मौका देंगे कि उनकी विधिक शिकायत दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। वह उस जेल की आम स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे और महाराष्ट्र (कैदियों को सुविधा) नियम, 1962 में दिया गया हो, उसके अनुसार कैदियों को सुविधा प्रदान हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे और उचित मामलों में वह हाई कोर्ट को रिपोर्ट पत्र द्वारा उस पर कार्यवाही करने के लिए लिख सकते हैं।

4 वकीलों द्वारा निरीक्षण

सत्र न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को भी नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त वकीलों को यह भी अधिकृत किया जा सकता है कि वह जेल का निरीक्षण करे

और रिकार्ड की भी जाँच करें, इसके लिए जेल प्रशासन को उनकी पूरी सहायता करनी होगी। उन्हें यह भी अधिकृत किया जाता है कि वह कैदियों से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप कर उनकी स्थिति को जानें और वह जेल की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन सम्बन्धी कैदियों की शिकायतें सुनें और उनसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सके। नियुक्त वकील जेल का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सम्बंधित कोर्ट को देगें जो शिकायतों की विधिक सुनवाई में उपयुक्त सहायता प्रदान करेगी।

5 कैदी पत्र द्वारा जेल प्रशासन सम्बन्धी अपनी शिकायतें निम्नलिखित अधिकारियों को दर्ज करवा सकते हैं;–

- क्षेत्रीय पुलिस डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल
- जेलों का इन्सपैक्टर जनरल,
- सचिव, गृह विभाग,
- गृहमंत्री / मुख्यमंत्री मन्त्रालय,
- जिला न्यायाधीश, हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज
- जिला न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील
- लोकपाल, लोक आयुक्त
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / सचिव, राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण।

न्यायालय द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि इन सभी निर्देशों के विषय में जिला जज, सेशन जज और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के पास महत्वपूर्ण सूचना और आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजना चाहिए।

प्रश्नः5 क्या कैदियों को पारिवारिक बंधन में रहने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए?

उत्तरः सुधारक न्यायिक प्रणाली (CORRECTIONAL JUSTICE ADMINISTRATION) का एक लक्ष्य यह भी है कि अपराधी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सुधार हो जिससे उसे एक गरिमामय व्यक्ति बनाया जाए। पारिवारिक बंधन किसी भी कैदी को यह अवसर प्रदान करेंगे कि उसके व्यक्तित्व का सुधार हो और उसका सम्पूर्ण मानव विकास हो सके।

प्रश्नः6 निःशुल्क आदेश की प्रति प्राप्त करने बारें कैदियों के क्या अधिकार है?

उत्तरः अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले न्यायालय के आदेश की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए। प्रतिलिपि प्रदान करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद–21 का उल्लंघन होगी। एम0एच0 हैस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 SCC 544: AIR 1978 SC 1548 मामले में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने की मांग की, लेकिन उसे जेल अधिकारियों से लगभग 3 साल तक फैसले की प्रति नहीं मिली। न्यायालय ने इसे संविधान के

अनुच्छेद 39–ऐ और 42 के साथ अनुच्छेद–21 व 22 के अन्तर्गत अधिकारों का हनन माना।

प्रश्नः7 क्या किसी भी कैदी को यह अधिकार है कि वह अपने वकील से भेंट कर सके?

उत्तरः जी हाँ। यह कैदी का अधिकार है कि वह स्वनिर्णित कानूनी सलाहकार से भेंट कर सके अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में दिये गये अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसा नियंत्रण असंवैधानिक और अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार (AIR 1981 SC 746) किसी भी कैदी के लिए यह उचित है कि वह दिन के उचित समय पर जेल सुपरिन्टेडेंट के अनमुोदन से स्वनियुक्त कानूनी सलाहकार से भेंट कर सकता है। जेल अधिकारी को ऐसा अनुमोदन शीघ्र ही बिना किसी देरी के प्रदान करना चाहिए।

प्रश्नः8 क्या किसी भी अपराध में अभियुक्त को अपने विरूद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य किया जा सकता है ?

उत्तरः संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरूद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्नः9 क्या कोई भी अभियुक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है जब उसे यह सन्देह हो कि ऐसा उत्तर देने से उसे इस केस में नहीं बल्कि उसके विरूद्ध चलने वाले किसी अन्य केस में उसको दोषी ठहराया जा सकता है?

उत्तरः जी हाँ।

भाग–3

बीमार कैदियों के अधिकारों से सम्बंधित जानकारी

प्रश्नः1 यदि कैदी बीमार हो तो क्या करना चाहिए?

उत्तरः उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाना चाहिए। वह निर्णय लेगा कि इस कैदी को उपचार के लिए अस्पताल भेजना चाहिए या उसका उपचार हिरासत में ही किया जा सकता है।

प्रश्नः2 क्या कैदियों के उपचार के लिए विशेष स्थान जैसे जेल–अस्पतालों का होना आवश्यक है?

उत्तरः जी हाँ।

प्रश्नः3 इसका इन्चार्ज किसे होना चाहिए?

उत्तरः चिकित्सा अधिकारी को।

प्रश्नः4 चिकित्सा अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है?

उत्तरः वह कारागार के अधीक्षक के अधीन कार्य करता है।

प्रश्नः5 क्या हर कैदी का वजन नियमित रूप से हर दूसरे रविवार चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में करवाना आवश्यक है?

उत्तरः जी हाँ। चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वजन उस रजिस्टर में नोट करे जो वहाँ इसी प्रयोजन से रखा गया हो।

प्रश्नः6 जेल स्टाफ को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए ?

उत्तरः उन्हें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवीय विज्ञान में प्रशिक्षण देना चाहिए। हर जेल के स्टाफ में प्रशिक्षित अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व कला–शिक्षकों के साथ मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक का होना भी अनिवार्य है।

भाग–4

एकान्तवास (Solitary Confinement)

से सम्बन्धित जानकारी

प्रश्नः1 क्या सज़ायाफ्ता कैदी को जेल अधिकारी एकान्तवास (Solitary confinement) में रख सकता है ?

उत्तरः जी हाँ। अगर अदालत ने इसके लिए आदेश दिया है, केवल तभी रखा जा सकता है।

प्रश्नः2 क्या कैदी को एकान्तवास (Solitary confinement) में अनिश्चित समय के लिए रखा जा सकता है ?

उत्तरः जी नहीं। आई0पी0सी0 की धारा 73 के मुताबिक कैदी को 3 महीने से ज्यादा एकान्तवास (Solitary confinement) में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए भी कैदी को एक समय में 14 दिन से ज्यादा एकान्तवास (Solitary confinement) में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए आई0पी0सी0 की धारा–73 व 74 में प्रावधान है।

भाग–5

आयु निर्धारण तथा किशोर अपराधियों से सम्बन्धित जानकारी

प्रश्नः1 कोर्ट को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए वारंट करते समय क्या करना चाहिए?

उत्तरः उसे उस कैदी की आयु लिखना आवश्यक है।

प्रश्नः2 अगर कैदी की आयु के सम्बंध में शंका हो, तो मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में वारंट जारी करते हुए क्या करना चाहिए?

उत्तरः जहाँ व्यक्ति की आयु के सम्बंध में शंका हो वहां न्यायिक हस्तक्षेप करना आवश्यक बन जाता है।

प्रश्नः3 क्या जेल प्रशासन किसी भी हिरासत के वारंट को मान्य मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें कैदी की आयु न दर्शायी गई हो?

उत्तरः जी नहीं। यह जेल प्रशासन के ऊपर है यदि वह चाहे तो इस वांरट, जिसमें कैदी की आयु के बारे मे कोई जानकारी न हो उसे अस्वीकृत भी कर सकती है। ऐसे वांरट को लागू करने के पहले अधिकारी को वैधिक रीति से वांरट जारी करने वाले कोर्ट के पास इस वारंट के सुधार के लिए भेजना चाहिए (देखिए संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन, 1987(2) SCALE 276)

प्रश्नः4 जेल सुधार के सम्बन्ध में मुल्ला कमेटी द्वारा क्या प्रस्ताव दिये गये?

उत्तरः निम्न प्रकार से हैंः–

- जेल प्रशासन सम्बन्धी जितने भी अधिनियम हैं उन्हें समेकित कर एक नया सम्पूर्ण कानून बनाना चाहिए जो पूरे देश के लिए लागू हो सके।

- जेल मैनुअल का पुर्नावलोकन अनिवार्य है और बाल अपराधियों के लिए एक अलग कानून बनाना आवश्यक है जो वर्तमान का BORSTAL SCHOOL ACT प्रतिस्थापन कर सके।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना आवश्यक है जिससे वह कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचाराधीन हो उन्हें इनकी आधी सजा जो उन्हें अभियुक्त ठहराने पर मिलनी हो, पूरी होने पर अप्रतिबंध रिहा करना चाहिए।

- दया–याचना के केस की सुनवाई शीघ्र करनी चाहिए और किसी भी ऐसे केस में छह मास से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए।

- अपराध अधिकारियों की प्रथा को समाप्त कर जेल पंचायत लागू करना अनिवार्य है जिससे स्वयं सुधार और स्वयं प्रबंध की भावना उत्पन्न हो सके।

- समरूप कैदियों के समूह को अलग वर्गीकृत संस्थाओं में रखा जा सकता है। कैदियों को उनके निवास स्थान के निकट किसी जेल में रखने के सिद्धान्त का सामान्य रूप से अनुसरण किया जा सकता हैं।

- जेल में सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है इससे कैदियों के सुधार में सहायता उपलब्ध हो सकती है और उन्हें सुधार का अवसर मिल सकता हैं।

- महिला कैदियों को अलग स्थान पर जो विशेषतः इन्हीं के लिए बनाया गया हो, वहाँ रखना चाहिए।

- जेल अधिनियम 1894 की धारा 30 में दिये गये उपबंधों का संशोधन करना अनिवार्य है और उसके स्थान पर उन कैदियों को जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया हो उनके साथ मानवीय और गरिमामय व्यवहार सम्बन्धी नियम बनाने की आवश्यकता है।

- कैदियों के लिए एक अलग वातावरण प्रदान करना उनके सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

- अपराध बढ़ने से रोकने के लिए और अपराधियों के सुधार के लिए कार्यक्रम बनाने ओर जेलों के विषय में राष्ट्रीय नीति बनाने के सम्बंध में जन सहयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

- कैदियो के पुनर्वास के लिए संस्थाएं या अन्य इसी प्रकार के कार्य जो जेल से निकलने के बाद किसी कैदी को एक आम जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करें ऐसे कार्यक्रमों को जेल प्रशासन द्वारा ही चलाया जा सकता है।

भाग–6

व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास से सम्बन्धित अधिकार

प्रश्नः1 जेल सुधार के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया?

उत्तरः यह सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 के केस में दिया गया।

प्रश्नः2 इस फैसले की क्या महत्वता थी?

उत्तरः इस फैसले द्वारा कोर्ट ने संवैधानिक नीतियाँ जो समानता स्वतंत्रता और मानव गरिमा से सम्बंधित हैं उन्हें जेलों में भी लागू करने को कहा गया। ये भी कहा गया कि जेलों में भी इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए जो इन सामाजिक मूल्यों को मान्यता प्रदान करता हो। इसमें कैदियों के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिये गये हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की गयी और जेल की चारदीवारी के भीतर न्यायिक क्षेत्राधिकार को जीवन प्रदान कर संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की बात कही गई।

प्रश्नः3 कैदियों को उपयुक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता पर किसने महत्व दिया?

उत्तरः हरियाणा सरकार द्वारा 1984 में स्थापित जेल सुधार कमीशन ने कैदियों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों में स्थापित विभिन्न आयोगों द्वारा भी महत्व दिया गया।

प्रश्नः4 संशोधित केन्द्रीय जेल मैनुअल 1960 में क्या उपबंध दिये गये हैं?

उत्तरः इसमें कैदियों को सार्थक काम करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई जिसमें उनके मुक्त होने पर कैदियों के पुनर्वास में सहयोग

प्राप्त हो सके, पर इन सुझावों को लागू करना बाकी है।

प्रश्नः5 कैदियों के पुनर्वास के लिए, जिससे वह भी आम नागरिकों की तरह एक साधारण नागरिक बन सके क्या उपाय करने चाहिए?

उतरः हर राज्य सरकार को जेलों में कैदियों के लिए एक ऐसे वातावरण का विकास करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कैदियों को स्वयं सुधार का अवसर प्रदान हो। जेलों में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना होगा, बल्कि कैदियों के सुधार के लिए उन्हें सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर देना चाहिए जिससे वह समाज में अपने लिए स्थान बना सकें।

प्रश्नः6 खुले जेलों को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है?

उत्तरः इसका उद्देश्य है उन कैदियों को, जिनको लम्बे समय के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, उन्हें कारावास के दुष्परिणामों से बचाया जा सके और उन्हें जेलों की चारदिवारी में अपराधिक वातावरण से हटाकर सुधरने का अवसर मिल सके।

प्रश्नः7 खुले जेलों को स्थापित करने के लिए किन सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया?

उत्तरः खुले जेलों का विचार जेलों के इतिहास में एक नया कदम है और यह कैदियों को एक सन्तुलित वातावरण जिससे कैदियों के मानसिक

विकास को क्षति न हो। यह कैदियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐसा प्रयोग है जिसका उद्देश्य प्रदान करने के सिद्धान्त पर आधारित है। नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार सुधार के क्षेत्र में सलाखों के बिना जेलों के महत्व को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

प्रश्नः8 खुले जेलों में रखने के लिए कैदियों का किस प्रकार चयन किया जाता है?

उत्तरः वह कैदी–

- जिनका आचरण ठीक हो और जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो;
- जो कठिन श्रम करने के लिए सहमत हो और खुले जेलों के नियमों का पालन कर सकें;
- जिन्हें एक या अधिक वर्ष का दण्ड दिया गया हो और अपनी एक चौथाई सजा पूर्ण कर चुके हों;
- या जिन्हें आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो और वह पाँच वर्ष कारावास में पूर्ण कर चुके हों।

प्रश्नः9 किन कैदियों को साधारणतयाः खुले जेलों में कारावास पर नहीं रखा जा सकता?

उत्तरः निम्नलिखित कैदीः–

- अभयस्त अपराधी जो कोर्ट द्वारा ऐसे वर्गीकृत किये गये हों;

- ज्ञात अभयस्त अपराधी;
- वह कैदी जिन्हें कारावास के दण्ड के पिछले दो वर्षों में तीन या इससे अधिक जेल अपराधों के लिए मुख्य दण्ड दिये गये हों;
- वह कैदी जिनका केस अदालत में अभी विचाराधीन हो;
- वह कैदी जो मानसिक रोगी हो या किसी अन्य गम्भीर रोग का शिकार हो;
- वह कैदी जो पहले ही गम्भीर मानसिक रोगी हो;
- पलायन अथवा भगौड़े कैदी;
- व्यवसायिक हत्यारे कैदी;
- वह कैदी जिन्हें स्वापक औषधियों के सम्बन्ध में दण्ड दिया गया हो;
- स्तर 1 कैदी;
- महिला कैदीः
- वह कैदी जिनका हस्तांतरण खुले जेलों से बंद जेलों में किया गया हो;
- वह कैदी जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121, 121–ए, 122, 123, 124, 124–ए, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 376, 392 से 402 के आधार पर दण्डित किया गया हो।
- अन्य कैदी जो कारागार के अध्यक्ष के अनुसार खुले जेल में भेजे जाने

के लिए अनुचित ठहराये गये हों।

प्रश्नः10 जेल प्रशासन में कोर्ट कब हस्तक्षेप कर सकता है?

उत्तरः जब भी कैदियो के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या उन्हें विधिक सुरक्षा प्रदान करने में अपेक्षा की गई हो, तब विधिक नियम लागू कराने के लिए कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

भाग–7

शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार

प्रश्नः1 क्या अपराधिक न्यायिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करें और क्या इसके लिए जेलों में जाना आवश्यक है?

उत्तर जी हाँ।

प्रश्नः2 कैदियों के सुधार में शिक्षा का क्या महत्व है?

उत्तरः शिक्षा नवीनतम सुधार प्रक्रिया का एक आधार है। इससे न केवल असामाजिक तत्वों को बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का अलग महत्व है। जेल शिक्षा के लिए एक आदर्श योजना वही होगी जिसमें साधारण और तकनीकी शिक्षा दोनों का महत्व दिया गया हो और कैदियों के वर्ग के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाए। कारागार में आम कार्यक्रमों के साथ, ऐसी प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए जिसमें नैतिक, सांस्कृतिक आत्मिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का सृजन हो सके। कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने ओर उन्हें सुधारने के लिए उन्हें बंदीगृह में ही पढ़ने की सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाकी सुविधाएं जैसे किताब, अखबार आदि प्राप्त करने के लिए भी कैदियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा। वह कैदी जो दण्ड पूर्ण कर चुके हैं, अक्सर उनके पुनर्वास में काफी व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं, उन्हें उपयुक्त काम नहीं मिल पाता, इसके लिए कैदियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है जिससे वह स्वयं–रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं।

प्रश्नः3 कैदियों के सुधार और पुनर्वास में स्वंयसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है?

उत्तरः स्वयंसेवी संस्थाएं कैदियों को शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। संस्थाओं की सेवाएं जेलों में शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कैम्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करने में प्रयोग की जा सकती हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाओं को इस क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। पर मुल्ला कमेटी ने यह भी प्रस्तावित किया है कि सामुदायिक समूहों को कैदियों के मित्र के रूप में संगठित किया जा सकता है, जो किताबें, मैगजीन अथवा अन्य पत्रिकाएं जमा कर कैदियों में वितरित कर सकते हैं जिसे कैदी अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। साथ ही जेलों में कैदियों के हित में सामाजिक शिक्षा पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं जो सामाजिक और नैतिक विषयों पर प्रकाश डाल सकें।

प्रश्नः4 कैदियों को शिक्षा के बारें में क्या अधिकार हैं ?

उत्तरः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को जेल नियमों के ढांचे के अनुसार यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अपीलकर्ता को एक नीरस, यांत्रिक, बौद्विक, या काम के प्रकारों से नहीं बल्कि श्रम के आधार पर काम सौंपा जाए.....और कहा कि सुविधाएं पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से उन कैदियों तक पहुँचानी चाहिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं और महिला कैदियों को सिलाई,

गुड़िया बनाने और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रश्नः5 क्या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए कैदियों को पत्रिकाएं और पुस्तकें प्राप्त करने के अधिकार से जेल अधिकारी रोक लगा सकता है?

उत्तरः जी नहीं। कुन्नीकल नारायाण (AIR 1973 केरल 97 के केस में) को माओ साहित्य प्राप्त करने से जेल अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और इसके बारे में केरल हाई कोर्ट में याचिका द्वारा भी दावा किया गया पर इस किताब में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं पाया गया जिससे राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचती हो या फिर जन संरक्षण को नुकसान होता हो। इसी कारण इन पुस्तकों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई।

कोर्ट ने यह कहा कि पुस्तकें प्राप्त करने से रोकने का कोई आधार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 खंड (1) (अ) में भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साहित्य अथवा पुस्तक का अध्ययन कर सकता है। प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता हैं जब इससे राज्य की सुरक्षा को या लोकतंत्र को भय हो।

नागपुर सेन्ट्रल जेल के अधीक्षक ने मनमाने ढंग से प्रत्येक कैदी को केवल 12 पुस्तकें प्राप्त करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा कि बॉम्बे कंडीशन्स ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, 1951 के तहत किताबों की संख्या के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जेल अधीक्षक केवल उसी पुस्तक को कैदियों के लिए अस्वीकृत कर सकता है जो अधीक्षक के अनुसार अनुपयुक्त थी।

भाग–8

महिला कैदियों के अधिकार

प्रश्नः1 महिला कैदियों की सुरक्षा से सम्बन्धित क्या प्रावधान हैं ?

उत्तरः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस लॉक–अप और विशेष रूप से महिला संदिग्धों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण को विस्तृत निर्देश दिये हैं। महिला संदिग्धों को एक अलग लॉक–अप में रखा जाना चाहिए, न कि उस तरह जिसमें पुरूष आरोपी हिरासत में हों और उन्हें महिला सिपाही द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

प्रश्नः2 गर्भवती महिला बन्दियों के क्या अधिकार हैं ?

उत्तरः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक गर्भवती महिला को जेल भेजने से पहले, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जेल में महिला कैदी के प्रसव के साथ–साथ माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए बुनियादी न्यूनतम सुविधाऐं उपलब्ध हों।

प्रश्नः3 जेल में बंदी माताओं के क्या अधिकार है ?

उत्तरः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिला कैदियों को 6 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को जेल में रखने की अनुमति होगी। बच्चे को महिला कैदी की इच्छा के अनुसार उपयुक्त प्रतिनिधि को सौंपा जाऐगा। बच्चे को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक उपयुक्त संस्थान में भी भेजा जा सकता है।

प्रश्नः4 महिला कैदियों के बच्चों के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं ?

उत्तरः हालाँकि कुछ जेलों में बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा

करने में सक्षम नहीं हैं। मनोरंजक सुविधाओं के लिए जेलों में केवल खेल के मैदान उपलब्ध हैं। चूंकि खेल के मैदानों का उपयोग केवल बढ़ते बच्चों द्वारा किया जा सकता है, इसलिए स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है, जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की मनोरंजक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कई मामलों में वे उपेक्षा का परिणाम भुगतते हैं। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जेल में रह रहे महिला कैदियों के बच्चों के बारें में न्यूनतम मानकों का पालन करें। एक बच्चे को उसकी मॉ के साथ जेल में रहते हुऐ एक विचाराधीन या दोषी के रूप में नहीं माना जायेगा। RD Upadhyay vs. State of AP, AIR 2006 SC 1946 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ऐसे बच्चें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाओं के हकदार हैं। जेल में जिन बच्चों का जन्म होता है उनका पंजीकरण स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय में किया जाना चाहिए, लेकिन यह तथ्य कि जेल में बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म के प्रमाण–पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा, केवल इलाके के पते का उल्लेख किया जायेगा।

भाग–9

मुआवजा, दया अपील, छुट्टी और विशेष अवकाश व रिहाई से सम्बंधित जानकारी

प्रश्नः1 हिरासत में मौत के केस में मुआवजे से सम्बन्धित क्या प्रावधान है ?

उत्तरः कई मामलों में देखा गया है कि जेल अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही के कारण विचाराधीन कैदियेां को जेल के अन्दर गम्भीर चोटों का सामना करना पड़ा, जो कि अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी के जीवन की रक्षा करना जेल अधिकारियों का कर्तव्य है और हिरासत में मौत के केस में मुआवजे का प्रावधान है।

प्रश्नः2 दया अपील (Mercy Appeal) के बारें में कैदियों के क्या अधिकार हैं?

उत्तरः भारत के संविधान ने अनुच्छेद–72 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तथा अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किसी भी सजा को माफ करने की अपील करने वाले अपराधियों को क्षमा करने या उस सजा को अन्य प्रकार की सजा में बदलने का या सजा निलंबित करने का अधिकार दिया है।

प्रश्नः3 छुट्टी और विशेष अवकाश (फरलो और पैरोल) के बारें में कैदियों के क्या अधिकार है ?

उत्तरः सभी कैदियों को स्थानीय अधिनियम या जेल मैनुअल में उल्लिखित निर्दिष्ट आधार पर, जैसा भी मामला हो, जेल से अस्थाई रिहाई के लिए आवेदन करने का अधिकार है। जेल प्रशासन राज्य का विषय है इसलिए कोई केन्द्रीय अधिनियम या दिशा–निर्देश नहीं है, जो उन दिनों की संख्या को निर्धारित करता है जिसके लिए एक कैदी फरलो या पैरोल के लिए पात्र है। फरलो और पैरोल राज्य के विषय है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोषी व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पैरोल लेने का हकदार है, जैसे किसी करीबी रिश्तेदार के गंभीर बीमारी के ईलाज या उसकी मृत्यु के लिए।

प्रश्नः4 क्या सज़ायाफ्ता कैदी को सजा काटने के दौरान जेल से पैरोल या फरलो पर कुछ समय के लिए रिहा किया जा सकता है ?

उत्तरः जी हाँ। कैदी को जेल मैनुअल के अनुसार समय–समय पर पैरोल या फरलो पर कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जा सकता है।

प्रश्नः5 क्या जेल अधिकारी कैदी की पैरोल या फरलो की दरख्वास्त लेने से मना कर सकता है?

उत्तरः जी नहीं। जेल अधिकारी कैदी की पैरोल या फरलो की दरख्वास्त लेने के लिए बाध्य है।

प्रश्नः6 क्या जेल अधिकारी को कैदी की पैरोल या फरलो की दरख्वास्त अनिश्चित समय के लिए लम्बित रखने का अधिकार है ?

उत्तरः जी नहीं। जेल अधिकारी को कैदी की दरख्वास्त पर निश्चित समय में कार्यवाही करनी होगी।

प्रश्नः7 सज़ा पूरी होने पर रिहा किये जाने के बारें में कैदियों के क्या अधिकार हैं?

उत्तरः सभी कैदियों को उनकी सज़ा पूरी होने पर जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल कर्मचारियें का यह कर्तव्य है कि वह जेलर द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में हर कैदी की रिहाई की तारीख को अधिसूचित करें। यदि, आदेश जारी करने के लिए किसी औपचारिकता की

आवश्यकता हो तो जारी करने की तारीख से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

प्रश्नः8 कैदियों की सज़ा की अवधि किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

उत्तरः यदि कारावास की सज़ा सुनाई गयी है, तो जांच, पूछताछ या मामले की सुनवाई के चरणों के दौरान उसके द्वारा हिरासत में लिये जाने की अवधि से अधिक है, दोषी व्यक्ति को कारावास की कुल अवधि से पहले की अवधि को काटने के बाद केवल कारावास की शेष अवधि से गुजरना होगा।

प्रश्नः9 क्या कैदियों की सजा पूरी होने पर उन्हें जेल में रखा जा सकता हैं ?

उत्तरः जी नहीं, कैदियों को सजा पूरी होने पर जेल से तुरन्त रिहा करने का प्रावधान है। एक मामले में किसी व्यक्ति को अदालत ने 14 साल पहले बरी कर दिया था परन्तु उसको जेल प्रशासन ने 14 साल तक रिहा नहीं किया था। इस मामलें से सम्बन्धित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Rudul Shah vs. State of Bihar, AIR 1983 SC 1086 में अधीनस्थ न्यायालय को मामले को मेरिट के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।

हालसा मुफ्त टोल फ्री कानूनी सहायता नम्बर

1800-180-2057

(समय 9.00 AM से 05.00 तक किसी भी कार्यदिवस पर)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता नम्बर

(09.30 AM से 1.00 PM और 1.30 PM से 5.00 PM तक किसी भी कार्यदिवस पर)

जिला	दूरभाष नम्बर	जिला	दूरभाष नम्बर
अम्बाला	0171-2532142	कैथल	01746-235759
भिवानी	01664-245933	मेवात(नूह)	01267-271072
चरखी दादरी	01250-223890	नारनौल	01282-250322
फरीदाबाद	0129-2261898	पंचकूला	0172-2585566
फतेहबाद	01667-231174	पानीपत	0180-2640125
गुड़गांव	0124-2221501	पलवल	01275-298003
हिसार	01662-270078	रोहतक	01262-257304
जीन्द	01681-245048	रिवाड़ी	01274-220062
झज्जर	01251-252013	सिरसा	01666-247002
कुरूक्षेत्र	01744-220216	सोनीपत	0130-2220057
करनाल	0184-2266138	यमुना नगर	01732-220840

HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Plot No.9, Sector - 14, Panchkula
Tel./Fax No. : 0172-2562309, Toll Free No.1800-180-2057
E-mail : hslsa@hry.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com
Website : www.hslsa.gov.in

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिट्यूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर–14, पंचकुला
दूरभाष/फैक्स नम्बर 0172-2562309, टोल फ्री नम्बर 1800-180&2057
ई–मेल : hslsa@chd.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com
वैब साईट : www.hslsa.gov.in,